हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 355/2019 अनवान मेहराराम बनाम कूंपाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

17/08/23

आदेश

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आवेदन दिनांक 13.03.2020 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 06 से 08 द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरा संख्या 455, 455/2, 453 व 454 मौजा जुना पतरासर के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 97/1993 दर्ज हुआ था जिसका दिनांक 28.04.1994 को निर्णय कर अन्तिम डिक्री पारित की जा चुकी है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षकार थे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद किया है जो माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज किया जावे। उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार विवादित खसरों की तरमीम की गई थी जिसमें सभी पक्षकार ने अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किए गए थे। अगर उक्त निर्णय व डिक्री से संतुष्ट नहीं होते हैं तो पक्षकारान उस निर्णय व डिक्री की नियमानुसार अपील कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार के वाद से अब किसी प्रकार कोई अनुतोष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लिहाजा वादीगण का उक्त वाद पत्र व आवेदन पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से आदेश 07 नियम 11 (ए) सीपीसी के तहत खारिज किया जावे।

वकील वादीगण द्वारा बहस में कथन किया कि उसके द्वारा राजस्थान काष्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 ,188, 209 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विधि सम्मत है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध सहायता चाही है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित होने से उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 355/2019 अनवान मेहराराम बनाम कूंपाराम**

इसमे कोई तथ्य छिपाया नही है। लिहाजा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 07 नियम 11 (ए) सीपीसी को खारिज किया जावें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादीगण का यह तथ्य मानने योग्य है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 97/1993 दर्ज हुआ था जिसका दिनांक 28.04.1994 को निर्णय व डिक्री पारित किया जा चुका है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षकार थे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी अपीलीय न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त वकील प्रतिवादी संख्या 06 से 08 की और से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर